न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/140

रामस्वरूप आत्मज चतुर्भुज जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

बनाम

1. बाली बाई पुत्री चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धारा सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 06.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 54 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में कुल 02 किता की 2.36 हैक्टर भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम बक्सपुरा तहसील रामगंजमण्डी में कुल 02 किता की 2.38 हैक्टर भूमि स्थित है । दोनों ग्रामों की आराजी में वादिनी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी क्रम 01 का हिस्सा 1/2 शामलाती रूप से खातेदारी में दर्ज है । वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 01 उक्त वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादिनी का अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक खातेदारी में दर्ज करावे ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जावे तथा वादिनी के 1/2 हिस्से की आराजी को पृथक से वादिनी के खाते में दर्ज किया जावे तथा लगान राज भी पृथक से कायम किया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 01 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए दावा वादिनी खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2019 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.04.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट के कथन पर विश्वास कर दावा वादिनी डिक्री करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में न तो वादपत्र और न जवाबदावे में अंकित तथ्यों का उल्लेख किया है और न ही साक्ष्य का उल्लेख किया है । सीधे ही तनकियों का निर्णय कर दावा वादिनी डिक्री किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता की कयशुदा भूमि है । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी अपीलान्ट का अपने पिता के समय से ही उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी में वादिनी का कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही उसका कोई कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादिनी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के खिलाफ एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था और यह कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी का 1/2 हिस्सा निहित है जिसका विभाजन किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री किया है जबकि रेस्पोडेन्ट वादिनी का कब्जा काश्त नहीं है । अपीलान्ट का अपने पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है । वादिनी ने स्वयं कहा है कि वह अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा नहीं चाहती है । प्रतिवादी ही परिवार की समस्त जिम्मेदारी वहन कर रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादिनी का 1/2 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से हिस्से के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 प्रदर्श– 1 के अनुसार कुल 02 किता की रकबा 2.36 हैक्टर आराजी वादिनी एवं प्रतिवादी कम 01 के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 02 किता की रकबा 2.38 हैक्टर भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खाते में दर्ज है ।

11. इसके अलावा पत्रावली पर वादिनी और रामस्वरूप प्रतिवादी के बयान भी कराये गये हैं ।

12. वादिनी के द्वारा संयुक्त खाते में दर्ज आराजी के विभाजन के लिए दावा पेश किया है । प्रतिवादी क द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि वादिनी का आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है । परन्तु संयुक्त खाते में दर्ज आराजी में एक सहखातेदार का कब्जा समस्त सहखातेदारों की ओर से माना जाता है और वादिनी को विवाह के समय जो सामान दिया गया अथवा रूपये पैसे एवं धन राशि दी गई उससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनका हिस्सा समाप्त नहीं किया जा सकता । वादिनी वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज है । अतः विभाजन कराने की अधिकारिणी है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वाद वादिनी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2019 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/140

रामस्वरूप आत्मज चतुर्भुज जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बाली बाई पुत्री चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्या: 108/दावा/2016

बाली बाई पुत्री चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

——वादी

बनाम

1. रामस्वरूप आत्मज चतुर्भुज जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम हथोना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 06.12.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र नामा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री धारा सिंह के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.04.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 06.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

6/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा